न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2018-00054Ju2018-035 Doli Mandir Vishnu Bhagwan Jhalamand Vs LRs of Binja and ors

---

डोली मन्दिर विष्णु भगवान, झालामण्ड, तहसील व जिला जोधपुर
जरिये पुजारी -

1. राजेन्द्र पुत्र रणछोडदास जाति साद
2. रामेश्वर दास पुत्र शंकरदास जाति साद
3. भीखूदास पुत्र गोपालदास जाति साद

सभी निवासीगण गांव झालामण्ड,
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बींजा पुत्र हिम्मता जाति कुम्हार के कायममुकाम -
   - 1.1. केशाराम पुत्र बींजाराम के कायममुकामान-
     - 1.1.1.बालाराम पुत्र केशाराम
     - 1.1.2.श्यामराम पुत्र केशाराम
     - 1.1.3.ठाकरराम पुत्र केशाराम के कायममुकामान-
       - 1.1.3.1. श्रीमती गीता पत्नी ठाकरराम
       - 1.1.3.2. घनश्याम पुत्र ठाकरराम
       - 1.1.3.3. रेखा पुत्री ठाकरराम
       - 1.1.3.4. पूजा पुत्री ठाकरराम
     - 1.1.4.छगराम पुत्र केशाराम
     - 1.1.5.पन्नालाल पुत्र केशाराम
   - 1.2. शंकरलाल पुत्र बींजाराम
   - 1.3. मदनलाल पुत्र बींजाराम के कायममुकामान-
     - 1.3.1.भगवती पत्नी मदनलाल
     - 1.3.2.रमेशकुमार पुत्र मदनलाल
     - 1.3.3.पप्पुराम पुत्र मदनलाल
     - 1.3.4.सेठाराम पुत्र मदनलाल
     - 1.3.5.विमला पुत्री मदनलाल
   - 1.4. नैनाराम पुत्र बींजाराम

   सभी जाति कुम्हार, निवासी गांव झालामण्ड
   तहसील व जिला जोधपुर
2. कमलादेवी पत्नी अमराराम जाति कुमावत
   निवासी बी-107, शास्त्रीनगर
   जोधपुर
3. मैसर्स अमर आदेश्वर इन्फास्ट्रक्चर,
   प्लाट न. 76, केसर बाग, शिवमन्दिर रोड
   रातानाडा, जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकाकारी जोधपुर दिनांक 08 फरवरी 2018 राजस्व वाद संख्या 6/2017 डोली मन्दिर विष्णु भगवान जरिये पुजारी बनाम बींजाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री मालमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री ओम प्रकाश बूब, श्री सिद्धार्थ परिहार एवं श्री अमित मेहता, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 17 सितम्बर, 2021

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 6/17 डोली मन्दिर विष्णु भगवान जरिये पुजारी बनाम बींजाराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 फरवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 मार्च 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने आराजी खसरा संख्या 209 रकबा 42 बलीघा 07 बिस्वा बारानी दोयम वाके मौजा झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने एवं वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व संवत मंदिर मूर्ति भगवान विष्णु की डोली की भूमि होना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 13 (रेस्पो. संख्या दो) कमलादेवी पत्नी अमराराम जाति कुमावत द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी-अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करते हुए प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र बाबत उभयपक्षकारान की सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 फरवरी 2018 को वादी-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि पूर्व में वादग्रस्त आराजी बाबत मात्र रेफरेंस की कार्यवाही हुई है। रेफरेंस की कार्यवाही के बावजूद नियमित वाद प्रस्तुत किये जाने के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वाद रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित एवं विधि द्वारा बाधित होना नहीं माना जा सकता है। अपीलाण्ट मन्दिर के तीन पुजारी मूलदास, रणछोडदास व गोविन्ददास थे, जिनमें से गोविन्ददास ने वर्ष 1991 में जिला कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के पूर्वज के नाम हुए गलत इन्द्राजात की दुरुस्ती करने का निवेदन किया गया, जिसे दिनांक 23 अक्तूबर 2000 को स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष रेफरेंस पेश किया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2014 को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर स्पेशल अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गयी, उक्त स्पेशल अपील विचाराधीन रहने के दौरान अपीलाण्ट-वादी ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो दिनांक 01 फरवरी 2017 को खारिज कर दिया गया एवं उक्त स्पेशल अपील भी मृत पक्षकार गोविन्ददास के खिलाफ निर्णित की गयी। स्पेशल अपील में पारित विधि-विरुद्ध एवं शून्यप्रभावी निर्णय होने से माननीय राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

उच्च न्यायालय में राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20 जनवरी 2014, 01 फरवरी 2017 एवं 09 मार्च 2017 के खिलाफ एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7368/2017 नेमदास बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य विचाराधीन है। इस प्रकार रेफरेंस के संबंध में वर्तमान तक कोई निर्णय अंतिम नहीं हुआ है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2010(1) आरआरटी 89 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि रेसज्युडिकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है, अतः ऐसे मामले में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है, अपितु ऐसे बिन्दु बाबत विधिवत विवाधक कायम किया जाकर साक्ष्य सुनवाई के बाद निस्तारण किया जाना चाहिये। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2014(2) आरआरटी 1224 एवं 2015(2) आरआरटी 1268 की नजीरें भी उद्धरित की। 2016(3) सिविल कोर्ट केसेज 790 (एससी) एवं 2006(2) सिविल कोर्ट केसेज 15 (एससी) उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि मात्र वाद में की गयी याचना अथवा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में उठाये गये आक्षेपों की बजाय न्यायालय को वाद/प्रार्थनापत्र को समग्र रूप से कंसीडर करना चाहिये। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि पूर्व में गोविन्ददास द्वारा वर्ष 1991 में जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को दिनांक 23 अक्तूबर 2000 को स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश किया गया रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2014 को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गयी, उक्त स्पेशल अपील विचाराधीन रहने के दौरान अपीलाण्ट-वादी ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो दिनांक 01 फरवरी 2017 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी से संबंधित उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को हितबद्ध पक्षकार ही नहीं माना गया। पूर्व में वादग्रस्त आराजी सहित अन्य दो खसरा नम्बर की आराजियात के संबंध में रेफरेंस के जरिये निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी-अपीलाण्ट का दावा विधि द्वारा बाधित मानते हुए खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.9(34)राज-6/2019/10(PS Cell)/34 जयपुर दिनांक 11 जून 2020 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया।

आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी-अपीलाण्ट का दावा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण करते हुए इस आधार पर खारिज किया गया है कि पूर्व में वादग्रस्त आराजी के संबंध में जागीर पुनर्ग्रहण के समय एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के पूर्व से ही बतौर खातेदार दर्ज बींजा वल्द हिम्मता का नाम राजस्व रिकार्ड खतौनी बंदोबस्त में अंकित होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय (रेफरेंस एवं स्पेशल अपील) में विस्तार से विवेचित किया जाकर रेफरेंस एवं विशेष अपील दोनों ही खारिज किये है।

उल्लेखनीय है कि सरकार के परिपत्र संख्या प. 9(34)राज-6/2019/10(PS Cell)/34 जयपुर दिनांक 11 जून 2020 के जरिये यह स्पष्ट किया गया है कि मंदिर माफी के प्रकरणों में भूमि अवाप्ति के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समय भू-अभिलेख की प्रास्थिति का राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने की दिनांक को तत्समय भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि से परीक्षण प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेंस खारिज करते हुए पारित आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2014 में विनिश्चित किया गया है कि **विवादित भूमि कभी भी डोली की खुदकाश्त भूमि नहीं रही है अपितु प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि है।** उक्त आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2014 के खिलाफ प्रस्तुत स्पेशल अपील/एलआर/4523/2015/जोधपुर बउनवान सरकार बनाम शैतानराम माननीय राजस्व मण्डल की **खण्डपीठ द्वारा खारिज करते हुए पारित निर्णय दिनांक 09 मार्च 2017 में राजस्थान** भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 एवं 10 के प्ररिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए यह अभिधारित किया गया है कि-

"…. पत्रावली पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रही है कि प्रश्नगत भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने के पूर्व या बाद में मंदिर की खुदकाश्त की भूमि रही हो। प्रश्नगत भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय तेजा वल्द गुमाना एवं **बिंजा वल्द हिम्मता** के नाम बतौर कृषक अंकित रही है और इस प्रकार से जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट सी.डब्ल्यु. संख्या 954/1995 भूरिया के वारिसान बनाम राजस्व मण्डल में दिये गये निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2016 के परिप्रेक्ष्य में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हस्तगत स्पेशल अपील सारहीन पाई जाती है और माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिये गये आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.11.2014 में किसी प्रकार तात्विक या कानून संबंधी त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।..."

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त स्पेशल अपील विचाराधीन रहने के दौरान अपीलाण्ट-वादी ने पक्षकार बनने हेतु एक प्रार्थनापत्र पेश किया जो दिनांक **01 फरवरी 2017 को खारिज** कर दिया गया। माननीय मण्डल के उक्त आदेश दिनांक 01 फरवरी 2017 के खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई किया जाना प्रकट नहीं किया गया है, जिससे माननीय मण्डल का उक्त आदेश दिनांक 01 फरवरी 2017 (जिसमें वादग्रस्त आराजी से **अपीलाण्ट को हितबद्ध पक्षकार ही नहीं माना गया**) अंतिम हो चुका है। फलस्वरूप अपीलाण्ट को वर्तमान आलौच्य वाद प्रस्तुत करने का कोई आधार ही उपलब्ध नहीं है।

सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 में रेसज्युडिकेटा से संबंधित प्रावधान इस प्रकार है-

No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

Explanation I.-- The expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto.

Explanation II.-- For the purposes of this section, the competence of a Court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such Court.

Explanation III.--The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted, expressly or impliedly, by the other.

Explanation IV.-- Any matter which might and ought to have been made ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

Explanation V.-- Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall for the purposes of this section, be deemed to have been refused.

Explanation VI.-- Where persons litigate *bona fide* in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the persons so litigating .

[1][*Explanation VII.*-- The provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references, respectively, to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree.

Explanation VIII.-- An issue heard and finally decided by a Court of limited jurisdiction, competent to decide such issue, shall operate as *res judicata* in a subsequent suit, notwithstanding that such Court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised.]

आलौच्य मामले में **रेफरेंस एवं स्पेशल अपील में राजस्व मामलात के अपेक्स न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य-सबूत के आधार पर वादग्रस्त भूमिग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 209 डोली मंदिर की खुदकाश्त नहीं होकर व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि होना विनिश्चित किया गया है।** अतः अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत नजीरें (जिनका अदालत हाजा सम्मान करती है) इस मामले में तथ्यों की भिन्नता के कारण हूबहू लागू नहीं होती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आलौच्य मामले में दावा डोली मन्दिर विष्णु भगवान, झालामण्ड, जरिये पुजारीगण राजेन्द्र पुत्र रणछोडदास जाति साद, रामेश्वर दास पुत्र शंकरदास जाति साद एवं भीखूदास पुत्र गोपालदास जाति साद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किन्तु वादीगण का मन्दिर के पुजारी होने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं होने तथा पूर्व पुजारीगण की वंशावली में होने कोई कथन और उसकी पुष्टि में कोई सबूत पेश नहीं किये गये है, जिसके आधार पर बिना किसी संशय और संदेह के परे इन व्यक्तियों का मंन्दिर का पुजारी होना एवं मंदिर की ओर से दावा प्रस्तुत करने हेतु मुश्तहक होना माना जा सके। **मंदिर के**

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पुजारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में विनिश्चय करने हेतु राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर भी वादी-अपीलाण्ट का दावा संधारण योग्य नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षस्वरूप यह प्रकट होता है कि -

1. वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में रेफरेंस एवं स्पेशल अपील का निर्णय पारित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा वादग्रस्त आराजी डोली की भूमि नहीं होना मामले में तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अन्तिमतः विनिश्चित किया जा चुका है। इसलिए वाद धारा 11 सीपीसी के तहत पोषणीय नहीं है।
2. स्पेशल अपील के दौरान अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी माननीय मण्डल की खण्डपीठ द्वारा **अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध पक्षकार नहीं मानते हुए खारिज किया जा चुका है,** जिसके खिलाफ सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोई किया जाना स्पष्ट नहीं है। इस कारण अपीलाण्ट/वादीगण वाद लाने के अधिकारी ही नहीं है।
3. चूंकि अपीलाण्ट्स/वादीगण वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध पक्षकार ही नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें किसी प्रकार से कोई वाद-हेतुक उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः इस कारण भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आलौच्य वाद विधि से बाधित होने के कारण नामंजूर किये जाने योग्य है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधिसम्मतः है।
4. डोली मंदिर के पुजारीगण की हैसियत से वर्तमान दावा एवं अपील प्रस्तुत की गयी है, पुजारीगण होने बाबत कोई ठोस एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अकाट्य प्रमाण पेश नहीं किया गया है और न ही राजस्व न्यायालय को इस बाबत अवधारणा की क्षेत्राधिकारिता ही उपलब्ध है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 6/17 डोली मन्दिर विष्णु भगवान जरिये पुजारी बनाम बींजाराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 फरवरी 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/9/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर